आर.ई.ओ–202

जोधपुर [redacted] विद्युत वितरण [redacted] निगम लि०

क्रमांक : जोडि/प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० /प्रे० 3743 जोधपुर, दिनांक 30-11-12

# आदेश

विषय :– वर्ष 2012–2013 मे कृषि कनेक्शन जारी करने के सबंध में।

****

डिस्कॉम कोर्डिनेशन फोरम की दिनांक 20.11.2012 को आयोजित बैठक मे लिये गये निर्णय की अनुपालना में एवम् निगम से जारी आदेश क्रमाक आर.ई.ओ–191 दिनांक 29.03.2011 के क्रम में सामान्य श्रेणी के 01.10.2008 से 31.12.2008 तक लम्बित आवेदन पत्रों के मांग पत्र एवं तुरन्त प्राथमिकता वाले 31.10.2012 तक लम्बित आवेदको के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किया जावे :–

**सामान्य श्रेणी**

(1) 25 प्रतिशत :– 1 दिसम्बर 2012 से 15 दिसम्बर 2012 तक
(2) 25 प्रतिशत :– 16 दिसम्बर 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक
(3) 25 प्रतिशत :– 1 जनवरी 2013 से 15 जनवरी 2013 तक
(4) 25 प्रतिशत :– 16 जनवरी 2013 से 31 जनवरी 2013 तक

**तुरन्त प्राथमिकता**

समस्त अनुसूचित जाति के आवेदको तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामो के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदको तथा अन्य आवेदक जिन्हे तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृशि कनेक्शन देय है जिन्होने दिनांक 31.10.2012 तक आवेदन कर रखा है,के मांग पत्र 1 दिसम्बर 2012 से 15 दिसम्बर 2012 तक जारी किये जावे।

सभी श्रेणीयो के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन मे राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि मे मांग पत्र जमा नही कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालो मे विस्तृत जानकारी देना सभी वृताधिकारी सुनिश्चित करेगे।

**प्राथमिकता**

कृशि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

**कनेक्शन के लिये सामान की ढुलाई**

कृशि कनेक्शन के लिये जरुरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र मे 1500 रुपये अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वंय करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नही की जायेगी।

**लाईन एवं सब स्टेशन लगाने के क्रम में**

कृशि कनेक्शन चार्ज हेतु 11 केवी लाईन तथा 11/0.4 केवी सब स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी. रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब स्टेशन खडी करने मे अच्छी गुणवता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एव कृशक को बिना असुविधा के कृशि कनेक्शन जारी हो।

उपरोक्त आदेशो की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

सलग्न :– मांग पत्र का प्रारुप, मांग पत्र का स्पष्टीकरण नोट

30/11/12

(सुरेश चौहान)
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जोधपुर / पाली / जालौर / बाड़मेर / बीकानेर / सिरोही / जैसलमेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ ।
3. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
4. निदेशक (वित्त / तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स / बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
7. मुख्य लेखाधिकारी,(ए एण्ड आर / ................ / ......................) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर / जयपुर।
8. प्रावे. सहा.अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर / अजमेर डिस्कॉम, जयपुर / अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एण्ड सी / टी.डब्लू / वाणिज्य / एमएमसी / एमएण्डपी / बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जैसलमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / परि. एव संधा.)जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / जालौर / बाड़मेर / बीकानेर / सिरोही / जैसलमेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
12. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
13. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, सलाहकार (एम) राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा. / एम.एम. / अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
16. कम्पनी सचिव / उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
17. प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता( / पवस / विधि / सर्तकता / अंकेक्षण )जोविविनिलि.......................................
    (आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।) उक्त आदेशो का कृषि उपभोक्ताओ के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उभोक्ताओ को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये।
19. जनसम्पर्क अधिकारी जोविविनिलि,जोधपुर

30/11/12

**अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)**
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**

रजिस्टर्ड ए.डी.

कार्यालय सहायक अभियन्ता (                /पवस)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.............................
क्रमांक जोविविनिलि/स.अ./पवस/उपभोक्ता शाखा/प्रे.................................दिनांक..........

## सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु मांग–पत्र

सेवा मे,

सर्वश्री.....................................................मांग–पत्र जारी होने की तिथि.........................................

ग्राम.............................................................................................................

पोस्ट...........................................................................................................

जिला.............................................मांग–पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि.................................

बडे हर्श के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपने ......................................एच.पी. के कृषि कनेक्शन हेतु सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में दिनांक.............................. को आवेदन किया था। आवेदित कृषि कनेक्शन देने हेतु वरीयतानुसार आपका नम्बर आ गया है। जिसके लिए निम्न मांग अनुसार राशि सहायक अभियन्ता कार्यालय मे जमा करानी होगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | एस्टीमेट की राशि | रु.................................................. |
| 2 | कृशक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि (कृशि कनेक्शन नीति–2004 संशोधित 31.3.2007के अनुसार) | रु.................................................. |
| 3 | अन्तर की राशि (1–2) | रु.................................................. |
| 4 | राज्य सरकार द्वारा वहन राशि (क्र.स. 3 का 50 प्रतिशत) | रु.................................................. |
| 5 | निगम द्वारा वहन राशि (क्र.स. 3 का 50 प्रतिशत) | रु.................................................. |
| 6 | अमानत राशि | रु.................................................. |
| 7 | ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज (ऐच्छिक) | रु.................................................. |
| 8 | (a)मीटर बाक्स राशि | रु.................................................. |
| | (b) मीटर की अमानत राशि | रु.................................................. |
| 9 | कुल राशि {2+6+7+8(a)+8(b)} | रु.................................................. |
| 10 | पूर्व मे जमा अग्रिम राशि (–) | रु.................................................. |
| | **कुल देय राशि (9–10)** | रु.................................................. |

**कुल देय राशि (शब्दो मे) रुपये**..............................................................................................

1. उक्त राशि उपरोक्त वर्णित अंतिम तिथी तक जमा नही कराने की स्थिति मे बिना अन्य सूचना के आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा कनेक्शन चाहने हेतु आपको पुनः आवेदन करना होगा।
2. कृशि कनेक्शन हेतु सामान के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के रुप मे 1500/– रुपये इस मांग पत्र मे शामिल है यदि आप स्वयं के खर्चे से ले जाना चाहते है तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च की राशि मांग पत्र मे से कम कर दी जायेगी। जिसके लिए आपको 10/–रु के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर सहमति पत्र प्रारप–अ मे (पीछे दिये अनुसार) देना होगा। इस स्थिति मे ट्रासपोर्टेशन के लिए रुपये 1500/– देय नही होगे।
3. 10/–रु के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर बिजली व अन्य फिटिग का शपथ पत्र देना होगा। (प्रारुप–ब)
4. यदि आपके नाम/परिसर मे पहले से कनेक्शन की कोई बकाया राशि एवं विद्युत चोरी की राशि यदि कोई बकाया हो तो वह भी मांग पत्र की राशि के अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी।
5. कनेक्शन की लाईन खीचने के लिए मार्ग/रुट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी भी होगी। आप व अन्य लोगो की आपसी विवाद की स्थिति मे आगामी वरियता क्रम वाले कनेक्शन को जारी कर दिया जायेगा।
6. नवीनतम जमाबंदी/खातेदारी अधिकार मांग पत्र की राशि जमा कराते वक्त प्रस्तुत करनी होगी। नाम परिवर्तन की स्थिति मे आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
7. मांग पत्र की राशि जमा कराने के दिन प्रचलित दरो के अनुसार राशि जमा करानी होगी।
8. आवेदित भार से ज्यादा का कनेक्शन लेने की स्थिति मे अंतर की राशि जमा करानी होगी।
9. अंतिम तिथी से पूर्व मांग पत्र राशि कभी भी जमा कराई जा सकती है। परन्तु इससे वरियताक्रम मे कोई परिवर्तन नही होगा। उपरोक्त वर्णित अंतिम तिथी के बाद कनेक्शन आवेदन की तिथी के अनुसार दिए जायेगे।

सहायक अभियन्ता(           /पवस)
जोधपुर डिस्कॉम..........................................

## मांग पत्र का स्पष्टीकरण नोट

1. सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु वर्तमान मे समय सीमा मे मांग पत्र जारी करने हेतु वास्तविक एस्टीमेट की राशि की गणना रुपये 15000/- प्रति हॉर्स पॉवर के अनुसार की जायेगी। कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 31.3.2007) के बिन्दु संख्या 10 (I) के अनुसार ली जायेगी।

2. उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक माह के अंत मे किये गये प्रत्येक कनेक्शन के वास्तविक राशि का आंकलन फील्ड सर्वे के द्वारा करेगे तथा वास्तविक लागत एव आवेदक द्वारा जमा करायी गयी राशि के अंतर का मूल्याकंन करके निम्नलिखित फॉर्मेट में सबंधित वृत लेखाधिकारी को प्रस्तुत करेगे, जो प्रति माह सूचना संकलित कर मुख्य लेखाधिकारी (ए एण्ड आर) को राज्य सरकार मे विवरण प्रस्तुत करने के लिये प्रेषित करेगे -

उपखण्ड का नाम :- माहः-

| क्र.स. | आवेदक का विवरण | कनेक्शन जारी करने की तिथी | वास्तविक एस्टीमेट की राशि (अ) | कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि (ब) | अन्तर की राशि (स) (अ-ब) | राज्य सरकार द्वारा वहन राशि (स का 50 प्रतिशत) | निगम द्वारा वहन राशि (स का 50 प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | योग | | | | | | |

प्रारूप 'अ'

## सहमति पत्र
### (10/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
### (जो आवेदक 1500/– रूपये ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं जमा कराना चाहते है )

मैं ................................ पुत्र श्री ........................................... निवासी................................... ग्राम ....................... तहसील ......................................... जिला .....................शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा खसरा नं. ............................ ग्राम .............................. पर कृषि कनेक्शन हेतु पोल, सब–स्टेशन इत्यादि सामान मैं मेरे साधनो से ले जाऊॅगा। उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊॅगा। मेरे कृषि मांग–पत्र राशि में से ट्रांसपोर्टेशन की राशि 1500/– रूपये कम कर दी जावे।

दिनांक

शपथग्रहिता

स्थान

---

प्रारूप 'ब'

## शपथ–पत्र
### (10/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं ................................ पुत्र श्री ............................................. निवासी................................... ग्राम ......................... तहसील .......................................... जिला ....................शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे खसरा नं. .................................. ग्राम.............................. तहसील ...................... पर कृषि कृषि पम्प के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु फिटिंग का कार्य मैने लाईसेन्सड कांट्रेक्टर/सुपरवाईजर/वायरमैन द्वारा "इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स–1956"/"इलेक्ट्रीसिटी रूल्स 2005" के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करवाकर टेस्ट करा लिया है।

आवेदक एवं शपथकर्ता